न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
श्री अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक–30.9.19

मि.न.–78 / 19

सरकार बनाम रणजीत

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खडब ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम खडब तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1927रकबा 18.20है0 किस्म जमीन बंजड मेंसे 0.75 है0 पर रणजीत पुत्र बूचाराम जाति खटीक निवासी खडब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने फसल बाजरा बुअई कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये लेकिन जबाब पेश नहीं किया। जिसके आधार पर गैरसायल को अनुतोष दिया जा सके। हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज रिपोर्ट पटवारी पर गौर किया तो पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल का अतिक्रमण सिद्व होता है। अतः गैर सायल के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः गैरसायल रणजीत पुत्र बूचाराम जाति खटीक निवासी खडब तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम खडब के खसरा नंबर 1927 रकबा 18.20 है0 किस्म बंजड में से 0.75 है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त आराजीयात पर बोई गई बाजरे की फसल को निलाम करते हुए गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशि 3.00रू का पचास गुणा 150 रू अर्थदण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है। भू– अभिलेख निरीक्षक , पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी, बेदखली ,पैलन्टी वसूली तहरीर जारी हो, मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 30.9.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

सन 2019-20 के रा० से० 4 के पृष्ठ संख्या 54 पर 15.2.20 कायम किये गये।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

तहसीलदार
कोटपूतली /जय